न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– जीतेन्द्र सिंह नरुका

सिविल प्रकरण संख्याः– 80 / 2023 तारीख रजू 13.10.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. मोहन गर्ग पुत्र स्व0 श्री कमलेश गर्ग (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स गर्ग किराना स्टोर, प्लाट नं. 56, एम.पी. कॉलोनी, ट्रक यूनियन, सवाई माधोपुर निवासी सोरती बाजार, दण्डवीर बालाजी के पास शहर सवाई माधोपुर।
2. महेश कुमार मेंघानी पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल (प्रोपराईटर) मैसर्स शिवम ईडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज (निर्माण ईकाई) प्लाट नं. 1–210, एग्रो फूड पार्क, इण्डस्ट्रीयल एरिया, रणपुर, कोटा, (राज.) 325003 निवासी 3–एम 12,13 प्रभा ज्ञान विद्यालय के पास, महावीर नगर विस्तार योजना, दादाबाड़ी कोटा (राज.) 324009

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51,52 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 12 / 02 / 2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दिनांक 03.02.2023 को समय दोपहर 01.00 पी.एम. पर फर्म – गर्ग किराना स्टोर, प्लाट नं. 56, एम.पी. कॉलोनी, ट्रक यूनियन, सवाई माधोपुर संस्थान पर पहुंचा, मौके पर उपस्थित व्यक्ति को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया। उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम मोहन गर्ग पुत्र स्व0 श्री कमलेश गर्ग एवं गर्ग किराना स्टोर का विक्रेता एवं प्रोपराईटर होना बताया। एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु 15 लीटर कम्पनी पैकिंग में रिफाइण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (शिवम पोस्टमेन) के 36 टिन रखे थे। जिनमें गुणवत्ता की कमी का अनदेशा होना पर वास्ते नमूना जांच एक टिन को खुलवाकर 1600 ग्राम रिफाइण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (शिवम पोस्टमेन) खरीदकर उसकी कीमत 272 / – रूपये विक्रेता श्री मोहन गर्ग को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री मोहन गर्ग के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान मुकेश गुर्जर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1600 ग्राम रिफाइण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (शिवम पोस्टमेन) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा रिफाइण्ड ग्राउण्डनट ऑयल को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं बोतलो

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **एच–2596** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नूमना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 **एच–2596** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भाग पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये एवं चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री मोहन गर्ग ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं 5ए की एक प्रति श्री मोहन गर्ग को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया, एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बन्द कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2023/483 दिनांक 06.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/241/ एक्ट/2023/309 दिनांक 13.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (शिवम पोस्टमेन) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (शिवम पोस्टमेन) का विक्रय/निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियुक्त ने जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त संख्या 1 की फर्म से रिफाइण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (शिवम पोरटमेन) का सेम्पल भरा गया था जिसे जयपुर की लेब के खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम 2020 के विनियम संख्या 5(3)(बी) और 5(10)(ए) के उल्लंघन तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति का माना गया है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न रिफाईन्ड मूंगफली तेल (शिवम पोस्टमेन) के खाली रैपर/लेबल में "बेस्ट बिफोर नाइन मन्थ फ्रोम पैकेजिंग" अंकित है तथा न्यूट्रिशनल इन्फॉमेशन भी "निर्धारित फॉरमेट" में प्रदर्शित है। अधिवक्ता ने बहस में यह भी तर्क दिया कि नमूने के जहां तक सबस्टेण्डर्ड होने की बात है तो अभियुक्तगण को नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण नमूना सबस्टेण्डर्ड माना गया है। भविष्य में दोबारा उक्त गलती को नहीं दोहराया जावेंगा। अन्त में प्रकरण में न्यूनतम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/241/ एक्ट/2023/309 दिनांक 13.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (शिवम पोस्टमेन) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम 2020 के विनियम संख्या 5(3)(बी) और 5(10)(ए) के उल्लंघन तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति का माना गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम 2020 के विनियम संख्या 5(3)(बी) के अनुसार "लेबल पर उत्पाद के प्रति 100ग्रा. अथवा 100 मि.ली. अथवा प्रति एक सेवन पैक से संबंधित और व्यस्क व्यक्ति के लिए प्रति दिन 2000 कि. कै. ऊर्जा, 67 ग्रा. कुल वसा, 22 ग्रा. सैच्युरेटिड फैट, 2 ग्रा. ट्रांस फैट, 50 ग्रा. योजित शर्करा और 2000 मि.ग्रा. सोडियम (5ग्रा. नमक) की आवश्यकता के आधार पर आकलित अनुशंसित आहारमान में प्रति परोसे प्रति शत योगदान संबंधी पोषण सूचना दी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो:–

(i) ऊर्जा मान (कि.कै.);

(ii) निम्नलिखित की मात्रा:

(क) प्रोटीन (ग्रा.);

(ख) कार्बोहाइड्रेट (ग्रा.) और कुल शर्करा (ग्रा.) योजित शर्करा (ग्रा.);

(ग) कुल वसा (ग्रा.) सैच्युरेटिड फैट (ग्रा.), ट्रांस फैट (प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस–फैट को छोड़कर (ग्रा.) और कोलेस्ट्रोल (मिग्रा.);

परन्तु सैच्यूरेटिड फैट और ट्रांस फैट की मात्रा लेबल पर " ..... से अनाधिक" के रूप में घोषित की जा सकती है।

परन्तु संतृप्त वसा और ट्रांस वसा केवल तभी दी जाए जब वसा की मात्रा 0.5% से अधिक हो।

(घ) सोडियम (मिग्रा.)

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा निर्मित उत्पाद के लेबल पर न्यूट्रिशनल इन्फॉमेशन खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम 2020 के विनियम संख्या 5(3)(वी) के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रदर्शित नहीं होना प्रतीत होता है।

और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम 2020 के विनियम संख्या 5(10)(ए) के अनुसार "(क) लेबल पर उत्पादन अथवा पैकेजिंग की तारीख" और समाप्ति तिथि/तक बेहतर तिथि" दी जाएगी। तथापि ऐच्छिक अथवा अतिरिक्त सूचना के रूप में "से पूर्व बेहतर" अभिव्यक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम 2020 के विनियम संख्या 5(10)(ए) के अनुसार अभियुक्तगण को लेबल पर उत्पादन अथवा पैकेजिंग की तारीख के साथ समाप्ति तिथि/तक बेहतर तिथि अंकित की जानी चाहिए थी तथापि ऐच्छिक अथवा अतिरिक्त सूचना के रूप में "से पूर्व बेहतर" अभिव्यक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता था जबकि अभियुक्तगण के द्वारा लेबल पर समाप्ति तिथि/तक बेहतर तिथि अंकित नहीं की जाकर केवल "पैकेजिंग से नौ गाह पूर्व बेहतर" अंकित किया गया है, जोकि विनियम संख्या 5(10)(ए) का उल्लंघन किया जाना प्रतीत होता है। उत्पाद के नमूने के सबस्टेण्डर्ड होने को अभियुक्तगण द्वारा अपने जवाब/बहस में स्वीकार किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (शिवम पोस्टमेन) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/-रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जीतेन्द्र सिंह नरुका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर